



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 222/2025

1. पालाराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हार्दिक पुत्र सुनील कुमार नाबालिग जरिये संरक्षक माता रीतू पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जमना पुत्री हरजी जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तुलछी पुत्री हरजी जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. पाना पुत्री हरजी जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रूकमा पुत्री हरजी जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. लिछमा पुत्री हरजी जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. सजना पुत्री हरजी जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. कान्ता पुत्री हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. मन्जू देवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. मीरा देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. सिलोचना पुत्री पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. मैना पुत्री पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. रीतू पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवाल साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :- 9/10/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 14 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निष्पत्ति लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

	वादी पालाराम :-				
	चक	प.नं.	किला	तादादी	
	13 एमडब्ल्यूएम	109/364	18/.0635 पश्चिमी, 21/2, 22/2, 23/2/.208 पश्चिमी	0.7275 हैक्.	
ख.	प्रतिवादी सं. 1 जगदीश :-				
	चक	प.नं.	किला	तादादी	
	13 एमडब्ल्यूएम	109/364	16, 23/2/.020 पूर्वी, 24/2, 25/2	0.727 हैक्.	
ग.	प्रतिवादी सं. 2 हार्दिक :-				
	चक	प.नं.	किला	तादादी	
	13 एमडब्ल्यूएम	109/364	12 ता 15, 17, 18/.1895 पूर्वी	1.4545 हैक्.	



तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 9/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल
आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एण्ड
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा